

स्पीड पोस्ट

संख्या- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0-

101

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

मो. सलीम,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना ।
श्रम अधीक्षक, सीवान ।

पटना, दिनांक:- 24-2-16

विषय:- व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01श्रम-114- उत्प्रवासी श्रम कल्याण -मांग संख्या-26-
उपशीर्ष-0102- अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-पी
2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 2692 दिनांक 27.08.15 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" व्यावसायिक एवं विशेष सेवार्ये इकाई (28-01) में उप श्रमायुक्त, पटना को रू0 13125/- एवं श्रम अधीक्षक, सीवान को रू0 13000/- अर्थात् कुल 26,125/- (रूपये छब्बीस हजार एक सौ पच्चीस) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि. दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वामुभाजन,

(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0:- 101 पटना, दिनांक:- 24-2-16 23/02/16
प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो. सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-3012/2015 श्र0सं0:- 101 पटना, दिनांक:- 24-2-16 23/02/16

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/सीवान /जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/सीवान /आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / सहायक श्रमायुक्त प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं-67 (श्रमपक्ष) दिनांक-23.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो. सलीम)